भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3422
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ

+3422. श्री हाजी फजलुर रहमान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्चन्यायालय की पीठ स्थापित करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में चर्चा करने के आमंत्रित किया है और उनसे सुझाव मांगे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालयों की खंडपीठें, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और उस राज्य सरकार, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचना प्रसुविधाएं प्रदान करनी हैं के किसी पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के दिन प्रतिदिन का प्रशासन किया जाना अपेक्षित है, स्थापित की जाती है । पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

वर्तमान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित नहीं है ।

(घ) से (ङ) : जी, नहीं, तथापि, 07 नवम्बर, 2021 को मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर और मुज्जफरनगर की बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल विधि और न्याय मंत्री से मिला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के लिए निवेदन किया था ।

****